

बिहार सरकार  
उद्योग निदेशालय

पत्रांक 102/319

पटना, दिनांक 22.1.19

सं० सं०-05/उ० नि० ब० (आवंटन) 21/2018

प्रेषक,

पंकज कुमार सिंह,  
उद्योग निदेशक, बिहार।

सेवा में,

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,  
मधुबनी।

**विषय :-** मुख्य शीर्ष-4885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्यशीर्ष-02-पिछड़े क्षेत्रों का विकास, लघुशीर्ष-050-भूमि, मांग सं०-23, उपशीर्ष-0101- औद्योगिक विकास के लिए भूमि अर्जन, विपत्र कोड-23-4885020500101, विषय शीर्ष-0101.53.02-भू-अर्जन मद से मलवरी प्रशिक्षण केन्द्र हेतु ग्राम-जोंकी, थाना-खजौली, थाना संख्या-07, जिला-मधुबनी में अर्जित भूमि को अवशेष ब्याज भुगतान हेतु रू० 22,784/- (बाईस हजार सात सौ चौरासी रूपये) मात्र की स्वीकृति के आलोक में आवंटन।

महाशय,

उक्त बजट शीर्ष के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में भू-अर्जन से संबंधित व्यय को वहन करने हेतु कुल रू० 22,784/- (बाईस हजार सात सौ चौरासी रूपये) मात्र का आवंटन स्वीकृत किया जाता है।

- 2 इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में आय-व्ययक शीर्ष 4885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्यशीर्ष-02-पिछड़े क्षेत्रों का विकास, लघुशीर्ष-050-भूमि, मांग सं०-23, उपशीर्ष-0101- औद्योगिक विकास के लिए भूमि अर्जन, विपत्र कोड-23-4885020500101, विषय शीर्ष-0101.53.02-भू-अर्जन से विकलित होगा।
- 3 यह आवंटन विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक 169 दिनांक 09.01.2019 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
- 4 राशि की निकासी वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561 वि०(2) दिनांक 17 अप्रैल, 1998 के आलोक में ही की जाय तथा उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- 5 राशि की निकासी करते समय निम्नांकित बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखा जाय :-  
(क) योजना की स्वीकृति के आधार पर तथा वित्त विभाग के उक्त परिपत्र में निर्धारित अधिसीमा तक ही व्यय किया जाय।  
(ख) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्त नियमावली के भाग-1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करें ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में प्रावधानित राशि से अधिक व्यय नहीं होने पाए।

कृ० पृ० उ०

(ग) व्यय प्रतिवेदन व्यय के तुरंत बाद टी० भी० नं०/बिल नं० के साथ अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें।  
(घ) 2018-19 का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन 15 मार्च 2019 तक अवश्य भेज दें।

विश्वासभाजन

21/1/19

उद्योग निदेशक  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 102/345/

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक 22-1-19

21/1/19

उद्योग निदेशक  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 102/3110/

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, मधुबनी/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम/निदेशक, तकनीकी विकास, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक (योजना) उद्योग निदेशालय/ए०सी०-डी०सी० यू०सी० कोषांग, उद्योग विभाग/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, इंदिरा भवन, पटना/प्रशाखा-05, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ तथा आई० टी० मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक 22-1-19

21/1/19  
उद्योग निदेशक  
बिहार, पटना।